

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक अगस्त, 2015

पत्र संख्या-1/एल1-10-14/2015 गृ0आ0 /विभागीय अधिसूचना सं0-3927, दिनांक 09.06.2015 द्वारा श्री पी0 कन्नन, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2015 से 30.07.2015 तक कुल 60 (साठ) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

2. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री कन्नन कतिपय कारणवश उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं कर सके है ।

3. अतएव पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-3927, दिनांक 09.06.2015 द्वारा दिनांक 01.06.2015 से 30.07.2015 तक कुल 60 (साठ) दिनों का स्वीकृत उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-14/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-14/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-14/2015 गृ0आ0 5628 /पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री पी0 कन्नन, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

W. K. K. K.